

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 2360 / एफ-2-07/31 / एस-2/2020,

अटल नगर, दिनांक 29/06/2020

प्रति,

**मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)**

विषय :- कांकेर जिले के विकासखंड-दुर्गकोंदल की रैंगाटोला मदले एवं मुगुंरपारा मदले के बीच की नदी में स्टाडेम एवं पुलिया निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-27 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2020 / 3060, रायपुर, दि. 09.03.2020.

—oo—

राज्य शासन एतद द्वारा कांकेर जिले के विकासखंड-दुर्गकोंदल की रैंगाटोला मदले एवं मुगुंरपारा मदले के बीच की नदी में स्टाडेम एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 292.06 लाख (रुपये दो करोड़ बानवे लाख छ: हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल, कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 82 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उप योजना, लेखा शीर्ष-4702, लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, {102}-भू-तल जल, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (5059)-एनीकट/स्टापडेम का निर्माण, #97-निर्माण कार्य, 003 बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 19.06.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**



 (चाकुब खेट्टा)
 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 जल संसाधन विभाग

पृष्ठ 2361 / एफ-2-07 / 31 / ईस-2 / 2020,

अटल नगर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला— कांकेर (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर— अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर, जिला—उत्तर—बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।



संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग